न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)—जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 14/2022
3. उनवान : तुलसीराम पुत्र श्री देवा जाति अहीर निवासी ग्राम खेडीमिल्क तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. रामपाल पुत्र ज्ञानाराम
3. मांगीलाल पुत्र ज्ञानाराम
4. रामेश्वर पुत्र ज्ञानाराम
5. जगदीश पुत्र ज्ञानाराम
6. टीकूराम पुत्र ज्ञानाराम (फौत)

6/1. फूली देवी बेवा टीकूराम
6/2. रामस्वरूप पुत्र टीकूराम
6/3. रामसिंह पुत्र टीकूराम
6/4. रोशन पुत्र टीकूराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खेडीमिल्क तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

6/5. मनभरी पुत्री टीकूराम पत्नी जगदीश
6/6. उर्मिला पुत्री टीकूराम पत्नी पप्पूराम
6/7. गुड्डी पुत्री टीकूराम पत्नी महिपाल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम बासडीकलां तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

7. कस्तुरी पुत्री श्योदान पत्नी प्रभूदयाल
8. सोहनी पुत्री श्योदान पत्नी रामूराम
9. मोहनी पुत्री श्योदान पत्नी कजोडमल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम नारी का बास तहसील व जिला जयपुर।

10. सीता पुत्री श्योदान पत्नी रामकुवांर
11. भंवरी पुत्री श्योदान पत्नी सांवरमल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम आष्टीकलां तहसील चौमू जिला जयपुर।

12. गीता पुत्री श्योदान पत्नी शिशुपाल जाति अहीर निवासी बागडो का बास तहसील चौमू जिला जयपुर।
13. संतोष पुत्री श्योदान पत्नी सांवरमल जाति अहीर निवासी ग्राम चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
14. सोना पुत्री श्योदान पत्नी मालीराम जाति अहीर निवासी ग्राम आष्टीकलां तहसील चौमू जिला जयपुर।
15. झमरी देवी पत्नी गोपाललाल
16. सुरेश पुत्र गोपाललाल

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

17. रामनिवास पुत्र कोयली पत्नी नौलाराम
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खेडीमिल्क तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
18. माफी मन्दिर श्री हनुमान जही विराजमान ग्राम खेडीमिल्क तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर जरिये पुजारीगण शंकर एवं कैलाश पुत्रान् राधेश्याम सीताराम पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण निवासी खेडीमिल्क तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 24-4-25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री सीताराम जाट रेस्पोडेन्ट् सं0 2 लगा0 17 की ओर से।
स) अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा रेस्पोडेन्ट् सं0 18 की ओर से।

Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम खेडीमिल्क, पटवार हल्का खेडीमिल्क तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 417 जो खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2011 से 2029 में अपीलान्ट के पिता देवा पुत्र चौखा व ताऊ मोहना पुत्र चौखा बतौर खातेदार काश्तकार रहे। अपीलान्ट के ताऊ मोहना उर्फ मुन्ना पुत्र चौखा नाऔलाद फौत होने पर व अपीलान्ट के पिता देवा की मृत्यु होने पर विरासत से विधिक वारिसान की जांच कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 17 के पूर्वजों व उनकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 17 के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। तब से बतौर काबिज काश्तकार खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण चले आ रहे हैं। संवत् 2057 से 2060 की राजस्व जमावन्दी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वज के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात् माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त आराजीयात संवत 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में अपीलान्ट के पूर्वज मोहना व देवा पुत्रान चौखा जाति अहीर के नाम अंकित थी। अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 16/6/2004 को माफी मन्दिर श्री हनुमानजी सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 417 भूमि मोहना, देवा पुत्रान चौखा के नाम दर्ज की गई। कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माफी मन्दिर हनुमानजी

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

दर्ज कर दिया। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित मोहना, देवा पुत्रान चौखा के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ, तथा मोहना, देवा पुत्रान चौखा की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 17 के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद दर्ज हुआ, के उपरान्त अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अपीलान्ट के पूर्वज व अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 4 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित मोहना, देवा पुत्रान् चौखा को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी, वो ही भूमियाँ उनकी खातेदारी में अंकित की गई। उक्त भूमि 1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08 / 02 / 1952 का माफी हनुमानजी के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज नहीं थी। बल्कि सम्वत 2011 से 2029 में कृषक के कॉलम में मोहना, देवा पुत्रान चौखा दर्ज है। जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आरटीएक्ट के प्रावधानो की पालना में भूमि निरन्तर कृषको के नाम दर्ज रही। जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे एवं जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। खुदकाश्त भूमि धारा 2(1) में परिभाषित हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काश्त की जाती हैं "End cultivated personalnty" व खुदकाश्त मानी जावेगी। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र का सही तरीके से अवलोकन नहीं कर अपनी मनमर्जी पूर्वक कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर उपरोक्त आराजीयात जिसका किसी भी तरह से कोई संबंध माफी मन्दिर के रूप में नही रहा, उस भूमि को नियम विरुद्ध माफी मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम दर्ज कर दिया गया, जो खारिज योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 447 आदेश दिनांक 16 / 6 / 2004 को अपास्त किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में अंकित है कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के गरीब अशिक्षित व्यक्ति हैं। जिन्होंने उक्त आराजीयात के रिकॉर्ड बावत् हल्का पटवारी से दिनाक 24 / 08 / 2022 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमावन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर हनुमानजी सा.देह का नाम दर्ज देखकर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जानकारी हेतु पुराना रिकॉर्ड तहसील से दिनांक 25 / 8 / 2022 को प्राप्त किया तथा नामान्तकरण की नकल दिनांक 29 / 8 / 2022 को प्राप्त की, तब अपीलान्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। है। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं हैं तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद के बिन्दू का प्रश्न नही देखा जाता, जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जो उक्त

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

प्रकरण में हुआ हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर जानकारी की तिथि से अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील के संलग्न अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 447 दि0 16/06/2004, जमाबन्दी संवत 2076, जमाबंदी संवत 2011–2029, जमाबन्दी संवत 2057–2060, खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2036 की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 17 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम जाट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 18 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 1461 दिनांक 21.07.2023 द्वारा अपील जवाब पेश किया जिसमें अंकित है कि ग्राम खेडी मिल्क की खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी संवत 2011–2029 के अनुसार खाता सं० 88 आराजी खसरा नं0 417 रकबा 4–04 बीघा में कॉलम सं0 4 में माफी मंदिर श्री हनुमान जी पुजारी रूडा पु० हरिनारायण व हनुमान पुत्र हुक्मा कौम ब्राम्हाण सा. देह व कौलम न० 05 में मोहना व देव पि0 चौखा कौम अहीर सा. देह खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2041 से 2044 में विरासत नामा० स० 177 स्वीकृत दिनांक 20.07.1985 से मोहना देव्या पि० चौखा जाति अहीर के स्थान पर ज्ञानाराम, श्योदान, गोपाल लाल, तुलसी राम पि० देवा रामकिशन पुत्र सेवाराम कोयली बेवा नोलाराम कोम अहीर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। तत्पश्चात राज० सरकार के आदेश क्रमांक/प02(4) राज.4/90/37 दिनांक 31 12:1991 की अनुपालना में जमाबंदी संवत 2057–2060 में नामा0 सं0 447 स्वीकृत दिनांक 16.06.2004 द्वारा उपर्युक्त खातेदारों के स्थान पर माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त आराजीयात मिसल बन्दोबस्त के कॉलम नं 5 में मोहना व देवा पि0 चौखा कौम अहीर दर्ज रिकॉर्ड है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को अपीलांट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा0देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। अपीलाधीन भूमि हाल खसरा नं0 417 खतौनी बंदोबस्त 2011 से 2029 में अपीलांट के पिता देवा व ताऊ मोहना काश्तकार रहे। उक्त भूमि विरासतन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 17 के नाम दर्ज रही। अपीलांट का वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा मौके पर काबिज है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 की कॉलम संख्या 5 में नाम कृषक अपीलांट के पूर्वजों के नाम अंकित है। जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमियां उनकी खातेदारी में अंकित की गयी। संवत 2057–2060 में 50 वर्ष से अधिक समय बाद अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम तस्दीक कर दी गयी। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में राज0 सरकार परिपत्र दिनांक 19.01.2015, 25.11.2011, 24.05.2007, 18.09.2019, 11.06.2020 तथा न्यायालय संभागीय

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.08.2021, 06.12.2021, 28.02.2021, इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.11.2024, 31.07.2024, 05.02.2025 की प्रति पेश की है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 17 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण नियम विरुद्ध जारी किया गया है। बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा0देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। उक्त भूमि विरासतन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 17 के नाम दर्ज रही। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा मौके पर काबिज है। संवत 2011 से 2029 में नाम कृषक अपीलांट के पूर्वजों के नाम अंकित है। संवत 2057–2060 में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 17 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम तस्दीक कर दी गयी। अतः नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 16.06.2004 को अपास्त किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 ने अपीलाधीन नामान्तकरण राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में तस्दीक किया गया है। जमाबंदी संवत 2011–2029 के कॉलम संख्या 4 में "माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा0देह" अंकित है। मंदिर शाश्वत नाबालिग है, जिसके खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अहस्तांतरणीय है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 "ठाकुर गोविन्द सिंह" तथा कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता ने माफी मन्दिर श्री हनुमान जी अंकित है। ठाकुर गोविंद सिंह ने मन्दिर के भोग हेतु उक्त भूमि दी हुयी थी। यदि भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की पालना में नामान्तकरण संख्या 447 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा "आपणो खातो आपणो नाम" अभियान में दिनांक 16.06.2004 को स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश में अपीलाधीन नामान्तकरण मजमेआम स्वीकृत किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को तत्समय से थी। वर्ष 2004 के आदेश को इतने वर्ष बाद चुनौती दी गई है, जो मियाद अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई "लोकस स्टेण्डाई" नहीं है। यदि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट को आपत्ति थी तो नियमानुसार अपीलांट को घोषणा का दावा दायर करना चाहिये था किन्तु अपीलांट द्वारा तथ्यहीन आधारों पर अपील न्यायालय में दायर की गयी है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में RRD 1989 Page 101 तथा RRD 1987 Page 261 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त तर्कों के जवाब में कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31/12/91 में केवल पूजारी का नाम हटाने का आदेश अंकित था। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 17 उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार दर्ज रहे हैं। अपीलान्ट की उक्त भूमि का माफी मन्दिर से कोई संबंध नहीं था। राज्य सरकार के परिपत्र के आड में अपीलान्ट को बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 ने प्रत्युत्तर में तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 18 पूजारी के तौर पर नहीं अपितु माफी मन्दिर के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में उपस्थित

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

हुए हैं। राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार दौराने कैम्प भूमि विधि सम्मत तरीके से "माफी मन्दिर श्री हनुमान जी सा0 देह" के नाम दर्ज की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसोमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 16/06/2004 के संबंध में विचाराधीन है। उक्त नामान्तकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–2(4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 31/12/91 की पालना में स्वीकृत किया गया है। परन्तु राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–2(4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 के किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/07/19 दिनांक 25/11/11 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र क्रमांक प.2(4)राज–4/98/37 के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विरुद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीरी के अधिकरण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा कादीमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेंगे। इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाए।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

हस्तगत प्रकरण में जमाबंदी संवत 2011–2029 तथा 20574–60 के कॉलम सं0 3 में "ठाकुर गोविन्द सिंह" एवं कॉलम संख्या 5 के नाम कृषक में "मोहना व देवा पि0 चोखा कोम अहीर सा0 देह खातेदार" अंकित है। इससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा मोहना व देवा पुत्रान चोखा की भूमि थी। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2036 के अवलोकन से भी अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट एवं उनके पूर्वजों द्वारा काश्त करने का तथ्य जाहिर होता है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 447 राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31 / 12 / 91 की पालना में स्वीकार किया गया है जबकि इस परिपत्र में केवल पुजारियों के नाम हटाने के निर्देश हैं, किसी खातेदार की खातेदारी को विलोपित किये जाने के आदेश नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये एवं अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के अपीलधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 447 आदेश दिनांक 16 / 06 / 2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.4.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
अतिरिक्त जिला ... (तृतीय) जयपुर